न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **नारायण सिंह चारण, (R.A.S)**
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 118/2012 (रेफरेन्स) **दायर दिनांक 07.08.2012**

सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ..... प्रार्थी

बनाम

सायरा बेवा अब्दुल पिजारा, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ मृतक के बजाय –
1/1 श्री बाबू खां पिता अब्दूल पिंजारा, निवासी भदेसर
1/2 खेरून पिता अब्दूल पिंजारा, निवासी भदेसर
1/3 फातिमा पिता अब्दूल पिंजारा, निवासी भदेसर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत।

उपस्थितः– वकील प्रार्थी :– पैरोकार सरकार
वकील विपक्षीः– श्री सत्यनारायण ईनाणी

आदेश **दिनांक 16.02.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भदेसर, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 757 रकबा 2.10 किस्म बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि को न्यायालय तहसीलदार भदेसर के प्रकरण संख्या 296/69 दिनांक 21.12.1970 से आराजी नम्बर 757 में से रकबा 2.10 हैक्टर भूमि श्री अब्दूल पिता मोहम्मद पिंजारा, निवासी भदेसर को गैर खातेदारी हक से आंवटन किया गया। आंवटन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 21.01.1972 को दायर कर तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रमाणित किया। आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत् किस्म धा. पेटा गैर मुमकिन दर्ज होने से निरस्त योग्य है। उक्त आंवटन श्री अब्दूल पिता मोहम्मद पिंजारा को नियमों के विपरीत स्पष्ट रूप से होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार किस्म धा. पेटा गैर मुमकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

विपक्षी के वारिसान द्वारा दिनांक 20.11.2014 को जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में हमारे स्व. पिताजी के नाम आराजी का नियमन होना व गैर खातेदारी हक से नामान्तकरण होना स्वीकार है जो सारी कार्यवाही वैधानिक रूप से की गई। तहसीलदार भदेसर द्वारा यह आवेदन नियमों के विपरीत होकर एक औपचारिकता मात्र है और जिसे अपील के प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है क्योंकि किसी भी आदेश की अपील हेतु विधि द्वारा अवधि निर्धारित है एवं प्रारूप में वर्णित चरण संख्या 02 के तथ्यों के अनुसार भी आदेश दिनांक 21.12.1970 को होना एवं नामान्तकरण दिनांक 21.01.1972 का होना वर्णित है जिससे यह अपील स्पष्ट रूप से अवधि पार है यह भूमि पूर्णतः वैधानिक ढंग से पुरी जांच की जाकर हमारे स्व. पिताजी के नाम नियमन हुई है। जिसमें कुछ भी विधि के विपरीत नही है। इस भूमि पर हमारे स्व. पिताजी का कब्जा संवत 2000 से पूर्व लगातार चला आ रहा है जिसे लगभग 75 वर्ष होने आये है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेटा काश्त होने से हमारे पिताजी को गैरखातेदारी हक से स्वतः प्राप्त है जिसमें कोई बाधा नही है। राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशानुसार हमारे स्व. पिताजी के पक्ष में किये गये नियमन को स्वीकार किया है। मेवाड राज्य के समय से ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस भूमि पर 70 फीट गहरा पक्का कुआ भी बना हुआ है एवं यह तालाब के किनारे स्थित है जो कि एक स्थानीय तालाब है जिससे कोई सिंचाई नही होती है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनियमित, अनावश्यक व विधि के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नही है।

प्रकरण पर उभय पक्ष बहस सुनी गई जिसमें पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि को पुनः बिलानाम सरकार किस्म धा. पेटा गैर मुमकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। प्रकरण पर विपक्षी अधिवक्ता का कथन है कि तहसीलदार भदेसर द्वार नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 21.01.1972 दायर किया गया उसे अवैध होने से रेफरेन्स प्रस्तुत किया है, हमने जवाब दिया कि अवैध है तो रेफरेन्स होगा यदि सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ तो अवैध नही हो सकता है। ग्राम भदेसर के तालाब की आराजी संख्या 757 रकबा 2.10 बिघा इस पर हमारे पूर्वज अब्दूल का कब्जा जो कि सम्वत् 2000 से चला आ रहा था जिसको 75 वर्ष हो चुके है परन्तु तहसीलदार भदेसर के निर्णय दिनांक 06.09.1966 के विरूद्ध अपील पेश करने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 27.02.1969 द्वारा रिमाण्ड किया गया। इसके बाद तहसीलदार भदेसर द्वारा दिनांक 21.12.1970 को निर्णय कर भूमि को गैर खातेदारी से दर्ज कर दिया गया है जो अब तक 74 वर्षो से हमारा कब्जा चला आ रहा है। उक्त सक्षम आदेश से हमारी भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई है तो यह आदेश अवैध कैसे हुआ। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नही हुई है, 19 वर्ष बाद रेफरेन्स पेश नही कर सकते। यद्यपि रेफरेन्स के लिये कोई मियाद नही है।

प्रकरण पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं बहस के कथनों पर ध्यान किया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त प्रश्नगत आराजी भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में तालाब पेटा दर्ज रेकार्ड है तथा नामान्तकरण संख्या 254 निणर्य दिनांक 21.01.1972 में भी उक्त भूमि को बिलानाम धा. पेटा तालाब दर्ज रेकार्ड थी, विपक्षी ने अपने जवाब पत्र दिनांक 20.11.2014 में भी स्वीकार किया कि उक्त भूमि तालाब के किनारे स्थित है, जो कि एक स्थानीय तालाब है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् उक्त किस्म की भूमि को आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गयी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार भदेसर द्वारा उक्त भूमि को आंवटन किया जाना विधि विपरीत है। अतः उपरोक्त तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भदेसर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भदेसर, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 757 रकबा 2.10 बीघा किस्म तालाब पेटा को पुनः साबिक रेकार्ड अनुसार अभिलखों में दर्ज कराये जाने हेतु विधिवत रेफरेन्स तैयार कर सक्षम न्यायालय में पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को खले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ